नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यक वस्तुओं का आबंटन आमतौर पर राज्यों की मांग, केंद्रीय पूल में उपलब्ध भंडार की स्थिति, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आपसी आवश्यकता, मौसम जन्य कारक आदि जैसी बातों को ध्यान में रख कर किया जाता है । चावल, गेहूं और आयातित-खाद्य तेलों के मामले में आबंटन जनसंख्या के आधार पर नहीं किए जाते हैं । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए किए गए आबंटन केवल अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और उनका उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की समूची मांग को पूरा करना नहीं होता ।

तथापि, लेवी चीनी का आबंटन 1-10-86 को अनुमानित जनसंख्या के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपलभ्यता के एक समान मापदण्ड के आधार पर किया जाता है । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अगस्त, 1991 से सितम्बर, 1992 तक के लिए लेवी चीनी के आबंटन में 5% की तदर्थ वृद्धि करने की अनुमति दी गई है ।

व्यापारियों की मांगें

4626. **श्री अनन्तराम जायसवाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फेडरेशन ऑफ आल इंडिया फूड ग्रेन एसोसिएशन के आह्वान पर 28-7-92 को देश भर से आये हुए व्यापारियों के प्रतिनिधिमण्डल ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री को तथा इस मंत्रालय को फैडनेशन ऑफ आल इंडिया फूडग्रेन्स डीलर्स एसोसिएशन्स सहित व्यापारियों की एसोसिएशनों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । मूल रूप से आपत्ति आवश्यक वस्तुएं (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 को 31-8-1992 के बाद, जबकि उसकी वैधता की अवधि समाप्त हो जाती है, आगे बढ़ाने के बारे में उठाई गई है । यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

Extension of Essential Commodities Act

4627. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what were the demands made by the traders on the extension of Essential Commodities Act after its expiry date; and

(b) what are the details thereof and the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) and (b) Traders' Organisations have represented to Government that the validity of the Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 should not be extended after its validity expires on 31.8.92. The following are the main points generally made as arguments against the continuation of the Special provisions:—

(a) Non-bailable nature of offences leads to harassment and bail is not granted even for minor offences.

(b) Mandatory punishment of minimum of 3 months.

(c) Appeal against order of confiscation to State Government and not a judicial authority.